ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES

*****

SOVTECH A & N Islands
Daily No : 871
Date : 19/08/25
Verified By :

NOTICE

The Draft Recruitment Rule for the post of **Deputy Director (Shipping Services)** is published hereunder as well as uploaded in the A&N Administration Portal www.andamannicobar.gov.in for information of all concerned. The stakeholders may submit their claims/objections, if any addressed to the Director, Directorate of Shipping Services, Sri Vijaya Puram within 30 (thirty) days from the date of publishing of this notice. Thereafter, no claims/objections will be entertained.

Assistant Director (Admn)

F.No.10-317/MDY/DSS/2023/1330

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION

जहाज़रानी सेवा निदेशालय

DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES

*****

Sri Vijaya Puram, dated the 18th August, 2025

Mr. Nirmal Pls upload on 19.8.25

To

1. The Chief Editor, The Daily Telegrams, Sri Vijaya Puram with request to publish the above Notice alongwith the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi Newspaper) on 19.08.2025 and 20.08.2025.
2. The News Editor, Pradeshik Samachar, All India Radio, Sri Vijaya Puram with the request to include the contents of the Notice in the Pradeshik Samachar on 19.08.2025 and 20.08.2025.
3. The Station Director, Doordarshan Kendra, Sri Vijaya Puram with the request to include the contents of Notice in Dweep Darpan on 19.08.2025 and 20.08.2025.
4. The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT Campus, Dollygunj, Sri Vijaya Puram with the request to upload the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi in Hard & Soft Copy) in the A&N Administration website www.andamannicobar.gov.in on 19.08.2025.
5. The Assistant Manager (IT), DSS with the request to upload the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule for publication in the newspaper and e-mail to SOVTECH for uploading on the website.

18/8/25

Copy also forwarded to :

1. PA to DSS for kind information of DSS.
2. PA to DDSS for kind information of DDSS.
3. The Deputy Secretary (Shipping), A&N Administration, Secretariat, Sri Vijaya Puram.

Assistant Director (Admn)

14/8/25

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
जहाजरानी सेवा निदेशालय
*****

श्री विजयपुरम, दिनांक 19 अगस्त, 2025

सूचना

उप निदेशक (जहाजरानी सेवा) के पद के लिए मसौदा भर्ती नियम नीचे प्रकाशित किया गया हैं तथा सभी संबंधितों की जानकारी हेतु अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट www.andaman.gov.in पर भी अपलोड कर दिए गए हैं । यदि कोई दावे/आपत्तियाँ हों तो हितधारक इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर निदेशक, जहाजरानी सेवा निदेशालय, श्री विजयपुरम को भेज सकते हैं । उसके बाद किसी भी दावे/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

सहायक निदेशक (प्रशासन)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT
****

श्री विजयपुरम , दिनांक 19 अगस्त, 2025

अधिसूचना

सं.................. /फा.सं.42-517/2023-टीआर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या यू-14939/7/83-ए.एन.एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पद के संबंध में भर्ती नियमावली को अधिसूचित करने वाले पिछले सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा नौवहन सेवा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की स्थापना में धारित **उप निदेशक**(जहाजरानी **सेवा)** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात;

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ : -**

   (i) इन नियमों को "अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में **उप निदेशक**(जहाजरानी **सेवा)** पद की भर्ती नियमावली, 2025" कहा जाएगा।

   (ii) यह नियमावली इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:-**

   उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूचियों के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएँ :-**

   उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. अयोग्यताएँ :-

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने:-

क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो,जिसका पति/पत्नी जीवित है,

या

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परंतु उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, को यह सन्तुष्टि हो जाने पर कि ऐसी शादी उस व्यक्ति और उस शादी के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति:-

जहाँ उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्ति:-

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

एडमिरल डी. के. जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस. पांडिअम्माल)
उप सचिव (नौवहन)

अनुसूची

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में उप निदेशक(जहाजरानी सेवा) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**उप निदेशक(जहाजरानी सेवा)**
2.	पद की संख्या	01*(2025) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	वर्ग 'क' (राजपत्रित) (अलिपिकीय)
4.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	वेतन स्तर-11, वेतन मैट्रिक्स - रू. 67700-208700
5.	चयन पद या गैर चयनपद	लागू नहीं

6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।) **<u>नोट</u>** : आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत के अन्य स्थानो में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही होगी (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीती जिला तथा चंबा जिला का पंगी उप मंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ	**<u>आवश्यक</u>**: 1. एम. एससी. नॉटिकल साइंस के साथ शिप फ्लीट लॉजिस्टिक प्रबंधन में 05 वर्षों का अनुभव। **या** 2. एम.बी.ए. सहित बी.एससी. नॉटिकल साइंस के साथ शिप फ्लीट लॉजिस्टिक प्रबंधन में 05 वर्षों का अनुभव। **या** 3. नियर कोस्टल वोयेज़ मास्टर (NCV), जिनके पास नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी सक्षमता प्रमाणपत्र है और एम.एस. श्रेणी के जलयानों के प्रचालन में 03 वर्षों का अनुभव हो। **या** 4. महानिदेशक (नौवहन) द्वारा जारी चीफ ऑफिसर प्रमाणपत्र सहित एम.एस. श्रेणी के जलयानों के प्रचालन में 07 वर्षों का अनुभव। **<u>नोट-1</u>:** संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर, अन्यथा उच्च अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हुए अर्हता/अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **<u>नोट-2</u>:** संघ लोक सेवा आयोग की राय में यदि चयन के किसी चरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार यदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो आयोग अपने विवेक से कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हुए अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दे सकता है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं	आयु - नहीं शैक्षिक अर्हताएँ- हाँ

	शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कुछ हो।	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति पाने वालों के लिए 01 वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	<u>संयुक्त पद्धति द्वारा :</u> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) और पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जान है ।	<u>संयुक्त पद्धति द्वारा –</u> <u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) और पदोन्नति</u> 1. भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर या उससे उपर के पद के अधिकारी, जिनके पास समुद्र या कमान का अनुभव हो। **या** 2. केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकायों तथा स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी, जो; **क** (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करता हो; **या** (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-9 (रु.53100-167800) के वेतनमान या समकक्ष पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में सात (07) वर्षों की सेवा प्रदान की हो; **या** (iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 8 (रु.47600-151100) के वेतनमान या समकक्ष पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में आठ (08) वर्षों की सेवा प्रदान की हो, **या** (iv) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 7 (रु.44900-142400) के वेतनमान या समकक्ष पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में नौ (09) वर्षों की सेवा प्रदान की हो; **और** **(ख)** पैरा-7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखता हो। (वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 7 (रु.44900-142400) के वेतनमान में कार्यरत विभागीय प्रबंधक (आईएसएम), जिन्होंने इस ग्रेड में

		नौ (9) वर्ष की नियमित सेवा की है, को भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन इस पद पर नियुक्ति के लिए किया जाता है, तो ऐसे मामले में इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।)
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	**वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए)** 1. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन –अध्यक्ष 2. सचिव (नौवहन), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन –सदस्य 3. सचिव (कार्मिक), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन-सदस्य 4. निदेशक (जहाजरानी सेवा), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह – सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

अनुलग्नक

उप निदेशक (जहाजरानी सेवा) के पद से संबंधित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. जहाजरानी सेवा निदेशालय के स्वामित्व वाले जलयानों का प्रबंधन ।
2. सभी जलयानों/मोटर लॉन्च, बार्ज, पंटून इत्यादि के संचालन/अनुरक्षण/मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा ।
3. जलयानों/मोटर लॉन्च इत्यादि के लिए भण्डार सामग्रियों की खरीद के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।
4. अंतरद्वीपीय, फोरशोर एवं हार्बर फेरी सेवाओं सहित टिकटिंग का समुचित प्रबंधन ।
5. मुख्यभूमि एव अंतरद्वीपीय जलयानों के बर्थिंग के लिए व्यवस्था करना ।
6. अफलोट ऑपरेशनल स्थापना का प्रबंधन ।
7. अफलोट ऑपरेशनल स्थापना के कर्मचारियों के कार्यों का आबंटन एवं निगरानी ।
8. मुख्यभूमि–द्वीप, अंतरद्वीपीय तथा फोरशोर सेक्टर के आर्टिकल क्रू के अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष के रुप में कार्य करना ।
9. संचालन आवश्यकताओं के लिए नौसेना/पुलिस/तटरक्षक/अग्निशमन विभाग के साथ संर्पक करना ।
10. प्रशासन और अन्य स्तरों के विभिन्न मंचों पर निदेशालय का प्रतिनिधित्व करना ।
11. उच्च प्राधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य ।

****

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

सचिवालय/SECRETARIAT

*****

Sri Vijaya Puram, dated the 19th August, 2025

NOTIFICATION

No......................./F.No. 42-517/2023-TR - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-14939/7/83-ANL dated 21st February, 1985 and in consultation with Union Public Service Commission and in supersession of all previous Notifications notifying the recruitment rules in respect of the post, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Deputy Director (Shipping Services)** borne in the Establishment of the Directorate of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration, namely:-

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :**
   i. These Rules may be called the Andaman and Nicobar Administration Deputy Director (Shipping Services) in the establishment of Directorate of Shipping Services, Recruitment Rules, 2025.
   ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **NUMBER OF POST, CLASSIFICATION AND PAY MATRIX IN THE PAY LEVEL :**

   The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in paras 2 to 4 of the Schedules annexed hereto.

3. **METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT & QUALIFICATION ETC :**

   The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in para 5 to 13 of the said Schedule.

4. **DISQUALIFICATION :**

   No person.

   a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

b. Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **POWER TO RELAX :**

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the Provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **SAVING :**

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for candidates belonging to Scheduled Caste, Schedules Tribe and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D. K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor,
Andaman & Nicobar Islands
By order and in the name of Lieutenant Governor,

(S. Pandiammmal)
Deputy Secretary (Shipping)

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (SHIPPING SERVICES) IN THE ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES, A & N ADMINISTRATION.

1.	Name of the post	Deputy Director (Shipping Services)
2.	No. of post	01*(2025) *subject to the variation depending on workload
3.	Classification	Group 'A' (Gazetted) (Non – Ministerial)
4.	Level in the pay matrix	Pay Matrix Level - 11 ₹ 67700-208700

5.	Whether selection post or Non-Selection post	Not applicable
6.	Age limit for direct recruitment.	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government Servants upto 05 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from Candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)
7.	Educational and Qualification required for direct recruits.	**Essential** 1. M. Sc. Nautical Science with 05 years experience in Ship Fleet Logistic Management. **OR** 2. B. Sc. Nautical Science with MBA with 05 years experience in Ship Fleet Logistic Management. **OR** 3. Near Coastal Voyage (NCV) Master holding Certificate of Competency issued by the DG Shipping with 03 years experience in operation of MS Class Vessels. **OR** 4. Holding Certificate of Chief Officer issued by the DG (Shipping) with 07 years experience in operation of MS Class Vessels. **Note-1:** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidate otherwise well qualified. **Note-2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these

		communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes?	Age : No EQs : Yes
9.	Period of probation, if any	01 Year for Direct Recruits & Promotees
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to filled by various methods.	By Composite Method : Deputation (ISTC) Plus Promotion, failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made.	Composite Method Deputation (ISTC) Plus Promotion: **1.** Officers not below the rank of Lieutenant Commander in the Indian Navy having sea or command experience. OR **2.** Officers working under the Central/States Govts./UTs/Public Sector Undertaking/ Statutory Bodies and Autonomous Organization. **A** (i) holding analogous posts on regular in the parent cadre; **or** (ii) with seven (07) years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Pay Matrix Level 9 (₹ 53100-167800) or equivalent in parent cadre/ department; **or** (iii) with eight (08) years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Pay Matrix Level 8 ₹ 47600-151100 or equivalent in parent cadre/department; **or** (iv) with nine (09) years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Pay Matrix Level 7 ₹ 44900-142400 or equivalent in parent cadre/ department; **and** **(B)** Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under Column-7

		(The departmental Manager (ISM) in the scale of pay of Pay Matrix Level 7 ₹ 44900-142400 with nine (09) years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion).
12.	If DPC exists, what is its composition	**Group 'A' DPC (for promotion consisting of:** 1. Chief Secretary, A&N Admn. - Chairman 2. Secretary (Shipping), A&N Admn. - Member 3. Secretary (Personnel), A&N Admn. – Member 4. Director (Shipping Services), A&N Islands - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is necessary on each occasion.

ANNEXURE

Duties and Responsibilities of Deputy Director (Shipping Services)

1. Management of the fleet owned by the Directorate of Shipping Services.
2. Responsible for operation/maintenance/repair of all vessels/motor launches, barges, pontoon etc.
3. Submission of proposal for procurement of stores for vessels and motor launches etc.
4. Proper management of Inter-Island, Foreshore and Harbour Ferry services including ticketing.
5. Arrangement for berthing of mainland and Inter-Island bound vessels.
6. Management of Afloat Operational Establishment.
7. Allocation of duties and control of work of staff of Afloat (Operational) establishment.
8. To function as Chairman of Disciplinary Committee for Mainland-Island, Inter-Island and Foreshore Sectors article crew.
9. Liaison with Navy/Police/Coast Guard/Fire Brigade for operational requirements.
10. Representing the Directorate in different forums in the Administration and other levels.
11. Any other duties assigned by higher authorities.